v/;k;&I
lkekU;

1-1 jktLo izkfIr;ksa dk #>ku

1-1-1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश की शुद्ध प्राप्ति एवं राज्य सरकार को आवंटित शुल्क एवं सहायक अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आँकड़े lkj.kh 1-1-1 में दर्शाये गये हैं:

Lkkj.kh 1-1-1
jktLo izkfIr;ksa dk #>ku

¼₹ djksM+ esa½

Ø.l.	fooj.k	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	jkT; ljdkj }kjk mxkgk x;k jktLo					
	• कर राजस्व	33,877.60	41,355.00	52,613.43	58,098.36	66,582.08
	• करेतर राजस्व	13,601.09	11,176.21	10,145.30	12,969.98	16,449.80
	;ksx	**47,478.69**	**52,531.21**	**62,758.73**	**71,068.34**	**83,031.88**
2.	Hkkjr ljdkj ls izkfIr;k					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के भाग की शुद्ध प्राप्ति	31,796.67	43,218.90	50,350.95	57,497.86	62,776.70[1]
	• सहायक अनुदान	17,145.59	15,433.65	17,760.02	17,337.79	22,405.17
	;ksx	**48,942.26**	**58,652.55**	**68,110.97**	**74,835.65**	**85,181.87**
3.	jkT; ljdkj dh dqy jktLo izkfIr;ka ¼1 ,oa 2½	**96,420.95**	**1,11,183.76**	**1,30,869.70**	**1,45,903.99**	**1,68,213.75**
4.	**3** ls **1** dh izfr'krrk	**49**	**47**	**48**	**49**	**49**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व (₹ 83,031.88 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,68,213.75 करोड़) का 49 प्रतिशत था। 2013–14 के दौरान प्राप्तियों का शेष 51 प्रतिशत भारत सरकार से था।

1-1-2 वर्ष 2009–10 से वर्ष 2013–14 की अवधि में उगाहे गये कर राजस्व के विवरण lkj.kh 1-1-2 में दिये गये हैं:

Lkkj.kh 1-1-2
mxkgs x;s dj jktLo dk fooj.k

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	jktLo 'kh"kZ		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012&13 ij 2013&14 esa of) ¼$½ vFkok deh ¼&½ dh izfr'krrk
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	ब0अ0	20,741.27	26,978.34	32,000.00	38,492.18	43,936.00	¼$½14.14
		वा0 प्रा0	20,825.18	24,836.52	33,107.34	34,870.16	39,645.45	¼$½13.69
2.	राज्य आबकारी	ब0अ0	5,176.45	6,763.23	8,124.08	10,068.28	12,084.88	¼$½20.02
		वा0 प्रा0	5,666.06	6,723.49	8,139.20	9,782.49	11,643.84	¼$½19.03
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	ब0अ0	4,800.00	5,000.00	6,612.00	9,308.00	10,555.00	¼$½13.40
		वा0 प्रा0	4,562.23	5,974.66	7,694.40	8,742.17	9,520.92	¼$½8.91
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	ब0अ0	1,574.89	2089.90	2,329.95	3,093.90	3,713.00	¼$½20.01
		वा0 प्रा0	1,674.55	2,058.58	2,380.67	2,993.96	3,442.01	¼$½14.97
5	अन्य[2]	ब0अ0	1,163.39	1,472.96	1,268.12	1,094.68	1,905.00	¼$½74.02
		वा0 प्रा0	1,149.58	1,761.75	1,291.80	1,709.58	2,329.86	¼$½36.38
	;ksx	c0v0	**33,456.00**	**42,304.43**	**50,334.15**	**62,057.04**	**72,193.00**	**¼$½16.33**
		ok0 iz0	**33,877.60**	**41,355.00**	**52,613.41**	**58,098.36**	**66,582.08**	**¼$½14.60**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2013–14 के वित्त लेखों में लघु शीर्षो द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–11 देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में मुख्य लेखा शीर्षक अ–कर राजस्व के अन्तर्गत–0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032–धन पर कर 0037–सीमा कर, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044– सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

[2] अन्य में निम्नलिखित प्राप्तियां शामिल हैः
विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्तियां, मनोरंजन कर एवं दांव कर।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारणों को प्रतिवेदित किया:

fcØh] O;kikj vkfn ij dj% बजट अनुमान के प्राप्त न किये जाने के लिए विभाग द्वारा कारण बताया गया कि वर्ष के दौरान करों की दरों में कमी की गयी थी। यद्यपि, वास्तविक प्राप्ति पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्ति की तुलना में अधिक थी।

LVkEi ,oa fuca/ku 'kqYd% बजट अनुमान के प्राप्त न किये जाने के लिए विभाग द्वारा कारण बताया गया कि जनता द्वारा विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अचल सम्पत्ति में रूचि का कम लेना था। यद्यपि, वार्षिक दर सूची में वृद्धि के कारण वास्तविक प्राप्ति पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्ति से अधिक थी।

okguksa] eky ,oa ;kf=;ksa ij dj% बजट अनुमान की प्राप्त न किये जाने के लिए विभाग द्वारा लक्ष्य के उच्च निर्धारण को कारण बताया गया। यद्यपि, वास्तविक प्राप्ति पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्ति की तुलना में अधिक थी।

राज्य आबकारी विभाग से अनुरोध किये जाने के बाद भी (जून और अक्टूबर 2014 के मध्य) विगत वर्ष की प्राप्ति में भिन्नता का कारण प्रस्तुत नही किया गया। (दिसम्बर 2014)।

1.1.3 वर्ष 2009–10 से वर्ष 2013–14 की अवधि में उगाहे गये करेतर राजस्व के विवरण **lkj.kh 1-1-3** में दर्शाये गये हैं:

Lkkj.kh 1-1-3

mxkgs x;s djsrj jktLo dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

Ø0 l0	jktLo 'kh"kZ		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012&13 ij 2013&14 esa of) ¼$½ vFkok deh ¼&½ dh izfr'krrk
1	शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति	ब0अ0	96.22	2,987.49	3,000.00	5,410.00	5,852.75	(+) 8.18
		वा0 प्रा0	2,339.86	2,614.11	2,008.55	4,211.69	6,414.09	(+) 52.29
2	विविध सामान्य सेवायें	ब0अ0	1,144.92	7,118.06	4,216.01	3,264.23	2,970.98	(-) 8.98
		वा0 प्रा0	8,075.13	5,120.67	4,035.23	4,494.11	3,194.28	(-) 28.92
3	ब्याज प्राप्तियां	ब0अ0	1,085.86	1,229.49	861.62	924.36	858.36	(-) 7.14
		वा0 प्रा0	603.66	689.32	789.22	1,186.41	1,619.35	(+)36.49
4	बिजली	ब0अ0	900.00	270.00	180.00	90.00	270.00	(+) 200.00
		वा0 प्रा0	170.70	91.79	76.83	72.80	1,060.81	(+)1357.16
5	अलौह, खनन तथा धातु कर्म उद्योग	ब0अ0	517.75	838.97	900.00	954.00	1,000.00	(+) 4.82
		वा0 प्रा0	604.97	653.39	593.28	722.13	912.52	(+) 26.37
6	अन्य करेतर[3] प्राप्तियां	ब0अ0	1,882.25	2,541.46	2,953.93	3,531.23	2,230.39	(-) 36.84
		वा0 प्रा0	1,806.77	2,006.93	2,642.19	2,282.84	3,248.75	(+)42.31
;ksx		c0v0	**5,627.00**	**14,985.47**	**12,111.56**	**14,173.82**	**13,182.48**	**(-)4.46**
		ok0 izk0	**13,601.09**	**11,176.21**	**10,145.30**	**12,969.98**	**16,449.80**	**(+) 26.83**

स्रोत उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

सम्बन्धित विभाग ने भिन्नता के निम्नलिखित कारणों को प्रतिवेदित किया:

fctyh% बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने के लिए विभाग द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर0ई0सी0), नई दिल्ली द्वारा अनुमान के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि को जारी न करने को कारण बताया गया। यद्यपि, काम के दूसरे चरण के प्रारम्भ के लिए आर0ई0सी0, नई दिल्ली से ₹ 1,059.95 करोड़ प्राप्त होने के कारण वार्षिक प्राप्ति विगत वर्ष की वार्षिक प्राप्ति से अधिक थी।

अन्य विभागों से अनुरोध किया गया (जून और अक्टूबर 2014 के मध्य), किन्तु विगत वर्ष की प्राप्ति में भिन्नता के कारण को विभागों द्वारा सूचित नही किया गया (दिसम्बर 2014)।

---

[3] अन्य में निम्नलिखित प्राप्तियां शामिल है:

अन्य राजकोषीय सेवाये, लाभांश तथा लाभ, राज्य लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, लेखन तथा मुद्रण सामग्री, लोक निर्माण कार्य, अन्य प्रशासनिक सेवायें, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूली, चिकित्सा तथा लोक स्वस्थ्य, परिवार कल्याण, जल पूर्ति तथा सफाई, आवास, शहरी विकास, सूचना तथा प्रचार, श्रम तथा रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, अन्य सामाजिक सेवाएं, फसल कृषि, पशु पालन, डेरी विकास, मछली पालन, वानिकी तथा वन्य प्राणि, कृषि, अनुसन्धान एवं शिक्षा, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रम, भूमि सुधार, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अन्य विशेष क्षेत्री कार्यक्रम, मुख्य सिचाई, मध्यम सिचाई, लघु सिचाई, आपारम्परिक ऊर्जा श्रोत, ग्रामीण तथा लघु उद्योग, उद्योग, अन्य उद्योग, नगर विमानन, सड़क तथा सेतु, सड़क परिवहन, पर्यटन, सिविल पूर्ति तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें।

1-2 jktLo cdk;ksa dk fo'ys"k.k

31 मार्च 2014 तक के कुछ मुख्य राजस्व शीर्षो के बकाये की स्थिति ₹ 24,806.78 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 18,130.56 करोड़ पाँच वर्षो से अधिक के थे, जिसका विवरण lkj.kh 1-2 में हैं:

Lkkj.kh 1-2
jktLo ds cdk;s

(₹ djksM+ esa)				
Ø0 l0	jktLo 'kh"kZ	31 ekpZ 2014 dks cdk;s dh dqy /kujkf'k	31 ekpZ 2014 dks ikap o"kZ ls vf/kd cdk;s dh /kujkf'k	foHkkx dk mRrj
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	24,461.64	18,072.11	₹ 24,461.64 करोड़ के बारे में विभाग ने बताया कि ₹ 1,957.95 करोड़ के भू राजस्व के बकाये की वसूली के लिए प्रमाणित मांग पत्र निर्गत किया गया, ₹ 1,152.99 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों को भेजे गये, ₹ 4,588.62 करोड़ न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा स्थगित किये गये, ₹ 656.34 करोड़ की वसूली सरकारी तथा अर्द्धसरकारी विभाग के विरूद्ध थी, ₹ 1,627.94 करोड़ की वसूली बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित थी तथा ₹ 40.37 करोड़ ट्रान्सपोर्टरो पर बकाये थे। ₹ 14,437.43 करोड़ के शेष बकाये के मामलो मे की गयी विनिर्दिष्ट कार्यवाही विभाग के अधीन थी।
2.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	145.99	विभाग के पास ऐसे कोई आंकड़े नही है।	पाँच वर्ष से अधिक के बकाये के विवरण विभाग के पास उपलब्ध नही थे। विभाग ने चरणबद्ध विवरण प्रस्तुत नही किया कि किसके अधीन कितनी वसूली लम्बित है।
3.	वाहनों पर कर	125.64	विभाग के पास ऐसे कोई आंकड़े नही है।	पाँच वर्ष से अधिक के बकाये के विवरण विभाग के पास उपलब्ध नही थे। विभाग ने चरणबद्ध विवरण प्रस्तुत नही किया कि किसके अधीन कितनी वसूली लम्बित है।
4.	राज्य आबकारी	53.85	48.19	₹ 53.85 करोड़ की सम्पूर्ण मांग भू–राजस्व के बकाये की वसूली के लिए प्रमाणित मांग पत्र निर्गत किया गये थे। ₹ 53.85 करोड़ मे से ₹ 16.62 करोड़ की मांग माननीय न्यायालयों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 6.06 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित थी।
5.	मनोरंजन कर	19.66	10.26	₹ 19.66 करोड़ में से ₹ 9.98 करोड़ की मांग माननीय न्यायालयों द्वारा स्थागित की गयी थी तथा ₹ 8.66 करोड़ की मांग भू–राजस्व के बकाये की वसूली के लिये प्रमाणित मांग पत्र निर्गत किया गये थे शेष ₹ 1.02 करोड़ के समबन्ध में विभाग द्वारा विशिष्ट उत्तर नही दिया गया।
6.	अलोह उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग	विभाग के पास ऐसे कोई आंकड़े नही है।	विभाग के पास ऐसे कोई आंकड़े नही है।	विभाग के पास निदेशालय स्तर पर बकाये के विवरण उपलब्ध नही थे।
	;ksx	**24,806.78**	**18,130.56**	

स्रोत विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

सारणी 1.2 में देखने से प्रतीत होता है कि ₹ 18,130.56 करोड़ की वसूली पाँच वर्ष से अधिक की थी और उसे वसूल करने के लिए सार्थक प्रयास नही किये गये। ₹ 14,438.45 करोड़ विभागीय अधिकारियों के पास लम्बित थे। बट्टे खाते (₹ 1634 करोड़) में डालने हेतु सन्दर्भित मामलों का भी अनुश्रवण जहाँ से किया जाना था, नही हो रहा था।

1-3 dj fu/kkZj.k ds cdk;s

वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत बिक्री, व्यापार आदि पर कर (मूल्य संवर्धित कर, प्रवेश कर, केन्द्रीय बिक्री कर तथा संकर्म संविदा पर कर) के कर निर्धारण के बकाये के सम्बन्ध में वर्ष के आरम्भ में लम्बित कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण के लिए योग्य हुए मामले, वर्ष के दौरान निस्तारित किये गये मामले तथा वर्ष के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या का विवरण lkj.kh 1-3 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 1-3
dj fu/kkZj.k ds cdk;s

jktLo 'kh"kZ	izkjfEHkd vo'ks"k	2013&14 dh vof/k esa dj fu/kkZj.k gsrq ;kX; u;s ekeys	dj fu/kkZj.k gsrq ;kX; dqy ekeys	2013&14 ds nkSjku fuLrkfjr ekeys	o"kZ ds vUr esa 'ks"k ekeys	fuLrkj.k dh izfr'krrk ¼dkye 5 ls 4½
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,46,772	3,92,046	5,38,818	5,31,405	7,413	98.62

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी।

वर्ष 2013–14 में कर निर्धारण के बकाये के निस्तारण के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अच्छा प्रयास किया गया।

1-4 foHkkx }kjk irk yxk;s x;s dj vioapu ds ekeys

वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन एवं मनोरंजन कर विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के मामलें, निस्तारित किये गये एवं उगाहे गये अतिरिक्त कर की मांग के मामले जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, lkj.kh 1-4 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 1-4
dj dk vioapu

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	jktLo 'kh"kZ	31 ekpZ 2013 dks yfEcr ekeys	2013&14 esa irk yxk;s x;s ekeys	;ksx	dj fu/kkZj.k@tkap iw.kZ rFkk iwjh gqbZ ds cknk vfrfjDr ekax lfgr vfrfjDr ekx vkfn lqxghr ekeyks dh la[;k		31 ekpZ 2014 dks fuLrkj.k gsrq yfEcr ekeyks dh la[;k
					Ekkeyks dh la[;k	Ekkaxh x;h /kujkf'k	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	10,456	6,603	17,059	7,104	0	9,955
2.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	12,834	30,529	43,363	27,571	166.33	15,792
3.	वाहनो पर कर	4,911	198	5,109	19	0.0021	5,090
4.	मनोरंजन कर	0	16	16	16	0.06	0
	;ksx	**28,201**	**37,346**	**65,547**	**34,710**	**166.39**	**30,837**

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी।

उपर्युक्त सारणी के देखने से पता चलता है कि वर्ष के आरम्भ में लम्बित मामलों की संख्या के सापेक्ष वर्ष के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी।

1-5 yfEcr okilh okn

वर्ष 2013–14 के प्रारम्भ में लम्बित वापसी वादो की संख्या वर्ष के दौरान प्राप्त दावे वर्ष के दौरान वापसी की स्वीकृत और वर्ष 2013–14 के अन्त में लम्बित वादो जैसा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा बताया गया lkj.kh 1-5 में दिया गया है।

lkj.kh 1-5
yfEcr okilh oknks dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

Ø0l0	fooj.k	fcØh dj@e0l0d0	
		Okknks dh la[;k	/kujkf'k
1	वर्ष के प्रारम्भ मे लम्बित दावे	358	33.38
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	8,584	1,150.62
3	वर्ष के दौरान की गयी वापसी	8,604	1,083.45
4	वर्ष के अन्त में शेष लम्बित वाद	338	100.55

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी।

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर तक अतिरिक्त धनराशि की वापसी नही की जाती हैं, तो वापसी की वास्तविक तिथि तक एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। बिक्री कर/मू0सं0क0 के वापसी वादो के निपटाये जाने की प्रगति अच्छी है।

1-6 y{[kkijh{kk dh ifr 'kklu@foHkkx dk iR;Rrj

निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार सरकारी विभागो के संव्यवहारों और रखे गये महत्वपूर्ण लेखों के रखरखाव और सत्यापन तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच हेतु महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश द्वारा सरकारी विभागों का समयावधिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए जब स्थल पर समाधान नही हो पाता, तो निरीक्षण कार्यालयों के अध्यक्षों सहित उनके उच्चतर अधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्र0) निर्गत किये जाते है। नि0प्र0 के जारी होने के एक माह के अन्दर नि0प्र0 में शामिल आपत्तियों पर कमियों एवं त्रुटियों को सुधार कर कार्यालयाध्यक्षों/शासन के प्रारम्भिक उत्तर के साथ अनुपालन आख्या महालेखाकार को भेजना अपेक्षित होता हैं। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं शासन को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसम्बर 2013 तक जारी किये गये नि0प्र0 के विश्लेषण से पता चला कि जून 2014 के अन्त तक 11,104 निरीक्षण प्रतिवेदनो से सम्बन्धित ₹ 6,816.69 करोड़ धनराशि के 34,446 प्रस्तर लम्बित थे विगत दो वर्षो के तद्नुरूपी आंकड़ो के साथ विवरण lkj.kh 1-6 में वर्णित है।

Lkkj.kh 1-6

yfEcr fujh{k.k ifrosnuks dk fooj.k

fooj.k	tu&2012	tu&2013	tu&2014
निस्तारण के लिए लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	11,538	10,808	11,104
लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	28,455	30694	34,446
सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	5,234.12	6,305.36	6,816.69

स्रोतः लेखा परीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

1-6-1 30 जून 2014 को लम्बित नि0प्र0 के ब्यौरे एवं उनमें सन्निहित धनराशियों के ब्यौरे lkj.kh 1-6-1 में वर्णित है:

Lkkj.kh 1-6-1

foHkkxokj fujh{k.k ifrosnuks dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

Ø0 l0	foHkkx dk uke	izkfIr;ksa dh izd`fr	yfEcr y{[kkijh{kk ifrosnuksa dh la[;k	yfEcr y{[kkijh{kk iz{k.kksa dh la[;k	fufgr jktLo dh /kujkf'k
1	वित्त	बिक्री व्यापार आदि पर कर	5,258	19,393	3,270.36
		मनोरंजन कर	163	360	14.30
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकरी	1,264	2,584	1,024.57
3	परिवहन	वाहनो पर कर	1,129	4,461	1,099.82
4	स्टाम्प एवं निबंधन	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	3,176	7,013	683.34
5	खनन एवं भूगर्भ	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	114	645	724.30
	;ksx		11]104	34]446	6]816-69

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष 2013–14 के दौरान निर्गत 1,222 नि0प्र0 का यहाँ तक कि प्रथम उत्तर कार्यालयाध्यक्षों से नि0प्र0 के निर्गत करने के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुआ। अधिक नि0प्र0 का उत्तर प्राप्ति न होने के कारण लम्बित रहना इस तथ्य का द्योतक है, कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों ने महालेखाकार द्वारा निर्गत नि0प्र0 में इंगित कमियों, त्रुटियों तथा अनियमितताओं पर सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नही की थी।

'kklu dks y{[kkijh{kk iz{k.kksa dk Rofjr rFkk mi;qDr iR;Rrj gsrq ,d izHkko'kkyh iz.kkyh ykxw djus dh fy, vko';d dne mBkus pkfg,A

1-6-2 foHkkxh; y{[kkijh{kk lfefr dh cSBd

निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) तथा नि0प्र0 के प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति, अनुश्रवण एवं शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार लेखापरीक्षा समितियों का गठन करती हैं।

वर्ष 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा समितियों की बैठकें एवं निस्तारित प्रस्तरों के विवरण lkj.kh 1-6-2 में वर्णित है।

Lkkj.kh 1-6-2
foHkkxh; ys[kkijh{kk lfefr;ksa dh cSBdksa dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½				
Ø0 l0	jktLo 'kh"kZ	vk;ksftr cSBdksa dh la[;k	fuLrkfjr iLrjksa dh la[;k	/kujkf'k
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	13	132	0.62
2	वाहनो पर कर	28	111	1.38
;ksx		41	243	2-00

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

विभागीय लेखापरीक्षा समिति के बैठको के आयोजित होने के बावजूद वाणिज्य कर विभाग तथा परिवहन विभाग में ढेर सारे लम्बित नि0प्र0 एवं प्रस्तरों के तुलना में निस्तारण की प्रगति नगण्य थी। राज्य आबकारी, स्टाम्प एवं निबंधन और मनोरंजन कर विभाग ने अनुरोध के बाद भी लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों का आयोजन नही किया।

1-6-3 ys[kkijh{kk tkap gsrq vfHkys[kksa dk iLrqr u fd;k tkuk

कर राजस्व/करेतर राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा हेतु कार्यक्रम पर्याप्त अग्रिम समय में बना करके सामान्यतः लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने के एक माह पूर्व भेजा जाता हैं, जिससे विभाग लेखापरीक्षा जाँच के लिए सम्बन्धित अभिलेख तैयार रख सके।

वर्ष 2013–14 के दौरान 478 कर निर्धारण पत्रावलियों, विवरणियों, वापसियों, पंजिका और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराये गये। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण लेखापरीक्षा इन मामलों में सन्निहित धनराशि का आकंलन नही कर सका। इन मामलों का विवरण lkj.kh 1-6-3 में दिया जा रहा हैं:

Lkkj.kh 1-6-3
viLrqr vfHkys[kksa dk fooj.k

Ø0 l0	dk;kZy;@foHkkx dk uke	ys[kkijh{kk fd;s tkus dk o"kZ	ys[kkijh{kk u fd;s x;s o`Unksa dh la[;k
1	वाणिज्य कर	2013–14	455
2	राज्य आबकारी	2013–14	7
3	परिवहन	2013–14	10
4	अन्य	2013–14	6
	;ksx		478

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

1-6-4 vkys[k ys[kkijh{kk iLrjksa ij foHkkxksa dk izR;qRrj

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित आलेख प्रस्तरों को महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों पर उनका ध्यान आकर्षित करने और छः सप्ताह के अन्दर उत्तर देने का अनुरोध किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे प्रस्तरो के अन्त में विभाग/शासन द्वारा उत्तर न दिये जाने का तथ्य निश्चित रुप से दर्शाया गया है।

जुलाई 2014 और अगस्त 2014 के मध्य एक निष्पादन लेखा परीक्षा सहित 43 आलेख प्रस्तर, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव को उनके नाम से भेजा गया। 16 आलेख प्रस्तरों का उत्तर शासन/विभागों द्वारा नही भेजा गया एवं विभाग की आख्या के बिना प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया।

1-6-5 ys[kkijh{kk izfrosnuksa dk vuqJo.k&lkjka'khd`r fLFkfr

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चित प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों और समीक्षाओं पर, चाहे वह लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हो या न लिये गये हो, विभाग द्वारा स्वतः कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा

प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों मे अत्यधिक विलम्ब किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की उ0प्र0. सरकार की राजस्व क्षेत्र की 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 को समाप्त होने वाले वर्षो के प्रतिवेदन जिसमें 202 प्रस्तर सम्मिलित किये गये (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) 28 जनवरी 2010 और 20 जून 2014 के मध्य राज्य विधान सभा के पटल पर रखी गयी। इन प्रस्तरों पर सम्बन्धित विभागो द्वारा की गयी कार्यवाही पर स्पष्टीकरण देर से प्राप्त हुआ वर्ष 2011–12 और 2012–13 के 105 प्रस्तरों से सम्बन्धित की गयी कार्यवाही पर व्यख्यात्मक टिप्पणियां एक माह से 10 माह तक के विलम्ब से प्राप्त हुयीं। 31 मार्च 2009, 2011, 2012 और 2013 को समाप्त होने वाले वर्षो की लेखपरीक्षा प्रतिवेदनों के 65 प्रस्तरों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां अब तक प्राप्त नही हुआ (दिसम्बर 2014)।

लोक लेखा समिति ने 2008–09 से 2011–12 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 122 चयनित प्रस्तरों पर चर्चा की गई। यद्यपि लोक लेखा समिति के 122 प्रस्तरों पर की गयी विभागीय कार्यवाही की टिप्पणी अभी तक प्राप्त नही हुयी जैसाकि **lkj.kh 1-6-5** में है:

Lkkj.kh 1-6-5

y[kkijh{kk ifronuks ij dh x;h dk;Zokgh dh lkjka'khd`r fLFkfr

o"kZ	foHkkx	;ksx
2008–09	वाणिज्य कर, राज्य आबकारी एवं स्टाम्प एवं निबंधन	35
2009–10	वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, वन, सिंचाई, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	20
2010–11	राज्य आबकारी, परिवहन, और स्टाम्प एवं निबंधन	15
2011–12	वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, भूगर्भ एवं भू खनन, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं वन	52
	;ksx	122

स्रोतः लेखपरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

1-7 ys[kkijh{kk }kjk mBk;s x;s ekeyks ls lEcfU/kr ifØ;kRed fo'ys"k.k

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं के क्रम में वाणिज्यकर विभाग से सम्बन्धित पिछले 10 वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गयी समीक्षाओं तथा प्रस्तरों में उठाये गये मुख्य बिन्दुओं पर शासन/विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गयी है।

अनुवर्ती प्रस्तरों 1.7.1 से 1.7.2 मे राजस्व शीर्ष 0040 वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित और विगत 10 वर्षो के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मामलें एवं वर्ष 2003–04 से 2012–13 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर चर्चा की गयी है।

1-7-1 fujh{k.k ifronuks dh fLFkfr

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों और 31 मार्च 2014 तक की उसकी स्थिति का विवरण **lkj.kh 1-7-1** में वर्णित है।

Lkkj.kh 1-7-1

fujh{k.k ifronuks dh fLFkfr

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	o"kZ	izkjfEHkd vo'ks"k			o"kZ ds nkSjku vfHko`f)			o"kZ ds nkSjku fuLrkj.k			vfUre vo'ks"k		
		fu0lk0	iLrj	/kujkf'k	fu0lk0	iLrj	/kujkf'k	fu0lk0	iLrj	/kujkf'k	fu0lk0	iLrj	/kujkf'k
1.	2004-05	2,039	5,938	312.73	472	1,724	64.68	165	565	10.26	2,346	7,097	367.15
2.	2005-06	2,346	7,097	367.15	423	1,530	79.4	150	336	3.43	2,619	8,291	443.12
3.	2006-07	2,619	8,291	443.12	397	1,457	72.17	0	0	0	3,016	9,748	515.29
4.	2007-08	3,016	9,748	515.29	337	1,260	46.73	394	1,006	10.33	2,959	10,002	551.69
5.	2008-09	2,959	10,002	551.69	419	1,509	1,191.18	363	1,899	52.06	3,015	9,612	1,690.81
6.	2009-10	3,015	9,612	1,690.81	683	2,711	77.32	367	1,009	36.38	3,331	11,314	1,731.75
7.	2010-11	3,331	11,314	1,731.75	927	2,648	94.73	219	835	13.99	4,039	13,127	1,812.49
8.	2011-12	4,039	13,127	1,812.49	622	2,451	132.67	116	709	12.95	4,545	14,869	1,932.21
9.	2012-13	4,545	14,869	1,932.21	624	3,589	778.39	158	862	8.57	5,011	17,596	2,702.03
10.	2013-14	5,011	17,596	2,702.03	577	2,788	709.83	90	408	6.59	5,498	19,976	3,405.27

स्रोतः लेखापरीक्षा विभाग में उपलब्ध सूचना।

सरकार ने पुराने प्रस्तरों के निस्तारण हेतु विभाग और महालेखाकार कार्यालय के मध्य लेखापरीक्षा समितियों के बैठकों का आयोजन किया। जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2004–05 के प्रारम्भ में 2,039 प्रतिवदेनों के 5,938 प्रस्तर थे, जो वर्ष 2013–14 के अन्त तक बढ़कर 5,408 प्रतिवेदन के साथ 19,976 प्रस्तर हो गये। यह प्रदर्शित करता है कि विभाग द्वारा उचित कदम न उठाये जाने के कारण लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों और प्रस्तरों में वृद्धि हुई।

1-7-2 Lohd`r ekeyksa dh olwyh

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में विभाग द्वारा विगत 10 वर्षो के स्वीकृत प्रस्तरों एवं वसूली की स्थिति lkj.kh 1-7-2 में अंकित है।

Lkkj.kh 1-7-2
Lohd`r ekeyksa dh olwyh

					(₹ djksM+ esa)
y[kkijh{kk ifrosnu dk o"kZ	'kkfey fd;s x;s iLrjksa dh la[;k	iLrjksa dh /kujkf'k	Lohd`r iLrjksa dh la[;k	Lohd`r iLrjksa dh /kujkf'k	0kLkwy dh x;h /kujkf'k
2003-04	12	122.35	7	1.29	0.03
2004-05	8	85.02	4	0.8	0.01
2005-06	7	101.85	4	1.39	0.00
2006-07	12	15.63	7	1.26	0.03
2007-08	7	838.92	7	826.08	0.03
2008-09	4	9.23	2	0.73	0.00
2009-10	10	15.95	3	10.30	0.16
2010-11	10	85.73	4	2.28	0.07
2011-12	11	16.76	7	13.12	0.66
2012-13	17	149.94	10	18.48	0.81

स्रोत लेखापरीक्षा विभाग में उपलब्ध सूचना।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि विगत 10 वर्षो में स्वीकृत मामलों मे भी वसूली की प्रगति बहुत धीमी थी। सम्बन्धित पक्षों से स्वीकृत मामलों में बकाया धनराशि की वसूली पर कार्यवाही की जानी चाहिए। शासन/विभाग द्वारा स्वीकृत मामलों में वसूली के अनुश्रवण के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नही की गयी थी। उपयुक्त प्रक्रिया के अभाव में विभाग स्वीकृत मामलों में वसूली का अनुश्रवण नही कर सका।

Lohd`r ekeyksa esa lfUufgr /kujkf'k dh Rofjr olwyh gsrq foHkkx vuqJo.k ,oa dk;Zokgh dh dk;Zokgh 'kh?kz djsA

1-8 Lohd`r laLrqfr;ksa ij ljdkj@foHkkx }kjk dh x;h dk;Zokgh

महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रारूप सम्बन्धित सरकार/विभाग को सूचना के साथ उत्तर देने के अनुरोध के साथ अग्रसारित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षा पर समापन विचार गोष्ठी हुयी थी तथा इसके पश्चात शासन/विभाग के विचार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रुप देते समय प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये हैं।

वाणिज्य कर एवं स्टाम्प एवं निबंधन विभागों की विगत पांच वर्षो के प्रतिवेदन में प्रदर्शित निष्पादन लेखापरीक्षा की स्वीकृत सिफारिशों और उनकी स्थिति का विवरण lkj.kh 1-8 में दिया गया है।

lkj.kh 1-8
Lohd`r laLrqfr;ksa ij ljdkj@foHkkx }kjk dh x;h dk;Zokgh

iqfronu dk o"kZ	fu"iknu ys[kkijh{kk dk uke	laLrqfr;ksa dh la[;k	foHkkx }kjk Lohdkj dh xbZ laLrqfr;ksa dh la[;k	Lohd`r laLrqfr;ksa dk fooj.k	fLFkfr
2008–09	वाणिज्य कर विभाग में बकाये के संग्रह	3	2	बकाये एवं वसूली पर लगातार नियंत्रण रखने के लिए तन्त्र का निर्माण करना	देय धनराशि एवं एकत्रित करने हेतु लगातार अनुश्रवण के लिए नोडल अधिकारी को नामित किया गया।
				लम्बित बकाये की वसूली हेतु प्रभावी उपाय किया जाना	प्रभावी उपाय अपनाये गये है।
2009–10	व्यापार कर से मूल्य संवर्धित कर में पारगमन	17	2	वाणिज्य कर विभाग में व्यापक मानवशक्ति की समीक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये	केन्द्रीय सर्वर मे सम्पूर्ण डाटाबेस उपलब्ध है।
				अप्रयुक्त घोषणा प्रपत्रों के रद्दीकरण से सम्बन्धित आदेश शीघ्रतिशीघ्र निर्गत हो जिससे अप्रयुक्त घोषणा प्रपत्रों का दुरुप्योग रोकना सुनिश्चित हो।	अप्रयुक्त घोषणा पत्र के दुरूपयोग को बचाने हेतु निरस्तीकरण के आदेश दिया गया।
2010–11	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा पत्रों का उपयोग	5	3	केन्दीय स्तर के साथ साथ नोडल अधिकारियों के स्तर पर घोषणा पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु उचित तन्त्र विकसित करना	ऐसे घोषित फार्मो के अभिरक्षा हेतु दो ताला पद्धति विकसित की गयी है। ऐसे घोषित फार्मो के लिए आनलाइन पद्धति लायी गयी है।
				आनलाइन क्रास वेरीफीकेशन हेतु टिनएक्सिस वेबसाइट पर केन्द्रीय घोषणा पत्रों के आकंड़े डालना	अगस्त 2014 तक के डाटा को अपलोड कर दिया गया है।
				वाणिज्य कर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट में सन्दिग्ध/ खतरनाक व्यापारियों के आकंड़े तैयार करके उसका प्रकाशन	विभागीय वेबसाइट में सभी व्यापारियों के डाटाबेस को अपलोड कर दिया गया है।
2011–12	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की कार्य प्रणाली	3	1	असमानता को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के तहत विकसित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाये जाने हेतु घोषणा अधिसूचना द्वारा लायें	विभाग ने औद्योगिक विकास विभाग से ऐसा प्रावधान किये जाने हेतु एक पत्र संख्या 8341/स्टाम्प आडिट/ 2013– 14 दिनांक 9 सितम्बर 2014 द्वारा अनुरोध किया।
2012–13	वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्य प्रणाली	5	5	फार्म 38 डाउनलोड करने के पूर्व संव्यवहार का विवरण आनलाईन भरने का प्रावधान अनिवार्य करना	अब यह अनिवार्य कर दिया गया है।
				टी डी एफ हेतु एन्ट्री एवं वैधता नियंत्रण तथा आपदा प्रबन्धन के लिए प्रणाली की स्थापना	डाटा अब संचित किया गया
				बारम्बार करापवंचन करने वाले व्यापारी/ट्रान्सपोर्टरों का डाटा बेस रखने हेतु माड्यूल विकसित करना।	सुरक्षित लाग इन में डाटा बेस उपलब्ध है।
				प्रवर्तन अधिकारियों को उचित उपकरण उपलब्ध कराना जिससे कि वे वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं/आकंड़ों का उपयोग कर सकें।	आनलाइन पद्धति लागू की जा चुकी है।
				प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अभिग्रहण/सर्वेक्षण के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अंतिम आरोपित/ वसूले गये कर के सम्बन्घ में निगरानी/अनुश्रवण तन्त्र स्थापित करना।	ऐसे मामलों की निगरानी हेतु एम0 आई0सी0 रिपोर्ट की स्थापना की जा चुकी है।

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी और लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

1-9 ys[kkijh{kk ;kstuk

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पूर्व रूझान, अन्य मापदण्डो एवं राजस्व की स्थिति के अनुसार उच्च, मध्य एवं लघु जोखिम इकाइयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम के विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें कर प्रशासन व शासकीय राजस्व के महत्वपूर्ण मामले जैसे बजट अभिभाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशे, पिछले पाँच वर्षो में अर्जित राजस्व की सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की रूप रेखा, लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा विगत पाँच वर्षो के दौरान इसका प्रभाव सम्मिलित रहता है।

वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 2,608 इकाईयां लेखापरीक्षण हेतु उपलब्ध थी, जिसमें 1,472 इकाईयों की योजना की गयी और 1,222 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी जो कि लेखापरीक्षित की जाने वाली इकाईयों का 46.86 प्रतिशत था। विवरण ifjf'k"V I में दर्शाया गया है।

उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त प्राप्तियों के कर प्रशासन क्षमता की जाँच हेतु एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी।

1-10 ys[kkijh{kk dk ifj.kke

वर्ष 2013–14 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्री पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, खनन प्राप्तियां और मनोरंजन कर से सम्बन्धित 1222 इकाइयों के अभिलेखों की जाँच में ₹ 2060.92 करोड़ के कर के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों कें 5987 मामलें प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान विभाग ने 611 मामलों में ₹ 3.12 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से 15 मामलें में सन्निहित धनराशि ₹ 35.70 लाख को 2013–14 में इंगित किया गया था तथा शेष मामलें पूर्ववर्ती वर्षों के थे। वर्ष 2013–14 के दौरान 615 प्रकरणों में ₹ 1.59 करोड़ की धनराशि की वसूली की गयी जिसमें 13 मामलों में सन्निहित धनराशि ₹ 3.27 लाख वर्ष 2013–14 के दौरान इंगित किए गये थे एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षो के थें।

1-11 ;g ifronu

इस प्रतिवेदन में 'lde lfonk es dj dk fu/kkj.k] vkjki.k ,o lxg.k* पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा को लेकर 43 प्रस्तर (स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान उपर्युक्त पाये गये एवं पूर्व वर्षो के मामले जो पूर्व में सम्मिलित नही किये गये) जिसमें सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 488.77 करोड़ है।

शासन/विभागों ने ₹ 21.97 करोड़ की धनराशि की आपत्ति को स्वीकार्य किया है। जिसमें ₹ 11.60 लाख वसूल किया गया। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नही हुआ है (दिसम्बर 2014)। इन मामलों की चर्चा अनुवर्ती अगले अध्यायों–II से VI में की गयी है।